

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 626 / 15

संस्थापन दिनांक :- 09 / 10 / 15

फाइलिंग नं. 233504000822015

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

भूरा उर्फ कैलाश पिता दौलत जी गवाड़े
उम्र 19 वर्ष, निवासी बरखेड़,
हाल निवासी ग्राम देवरी,
थाना मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 17.07.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 24.09.2015 को समय 01:35 बजे या उसके लगभग रेल्वे स्टेशन के सामने मेन रोड आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरा जिसकी कुल लंबाई 50 सेमी., मूठ की लंबाई 15 सेमी., फल की लंबाई 35 सेमी., फल की चौड़ाई 8 सेमी. को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 24.09.2015 को सहायक उप निरीक्षक को कस्बा भ्रमण के दौरान जरिए मोबाईल से सूचना मिली कि एक व्यक्ति रेल्वे स्टेशन के सामने हाथ में लोहे का छुरा लिए आने जाने वाले लोगों को गाली गुप्तार कर डरा धमका रहा है। सूचना पर वह हमराह स्टाफ के मौके पर पहुंचा जहां एक व्यक्ति हाथ में लोहे का छुरा लिये मिला जिसे घेराबंदी कर पकड़ा तथा नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम भूरा उर्फ कैलाश पिता दौलत निवासी बरखेड़ हाल निवासी देवरी थाना मुलताई होना बताया तथा अवैध छुरा रखने संबंधी कागजात पूछने पर नहीं होना बताया। जिस

पर उसने गवाहों के समक्ष अभियुक्त से एक लोहे का छुरा जप्त कर जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 517/15 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 24.09.2015 को समय 01:35 बजे या उसके लगभग रेल्वे स्टेशन के सामने मेन रोड आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरा जिसकी कुल लंबाई 50 सेमी., मूठ की लंबाई 15 सेमी., फल की लंबाई 35 सेमी., फल की चौड़ाई 8 सेमी. को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?”

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

5 पंचमसिंह उइके (अ.सा.-2) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 24.09.2015 को थाना आमला में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए कस्बा भ्रमण के दौरान सूचना प्राप्त होने पर वह हमराह स्टाफ के साथ रेल्वे स्टेशन पहुंचा जहां अभियुक्त हाथ में लोहे का धारदार छुरा लिए लोगों को डराते धमकाते मिला। उसके द्वारा अभियुक्त से पूछताछ करने पर कोई कागजात न होना बताये जाने पर उसने अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे का धारदार छुरा जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 517/15 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-3) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल-ए1 के छुरे को वही छुरा होना बताया है जो उसने अभियुक्त से जप्त किया था।

6 शेख अलीम (अ.सा.-1) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है। साक्षी ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श

प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर उसके हस्ताक्षर होने से भी इनकार किया है। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथनों से प्रकट नहीं हुए हैं।

7 विनोद (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्त को पहचानना व्यक्त करते हुए प्रकट किया है कि घटना एटीएम के पास की है। पंचमसिंह उइके पुलिस अधिकारी ने अभियुक्त को पकड़ा था और कुछ जप्त किया था। साक्षी द्वारा अभियोजन का पूर्ण समर्थन न करने के कारण साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह सही होना बताया है कि दोपहर 01:30 बजे जब वह अलीम के साथ रेल्वे स्टेशन आमला से बाहर निकल रहा था तभी अभियुक्त हाथ में लोहे का छुरा लिए लहरा रहा था और लोगों को गाली गुप्तार कर रहा था। साक्षी ने आगे यह भी सही होना बताया है कि पुलिस ने अभियुक्त से एक लाल मूठ फाईवर का लगा धारदार छुरा जप्त कर मौके पर सीलबंद किया था। साक्षी ने जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।

8 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी शेख अलीम (अ.सा.-1) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर मात्र पंचमसिंह उइके (अ.सा.-2) एवं स्वतंत्र साक्षी विनोद (अ.सा.-3) की साक्ष्य उपलब्ध है।

9 विनोद (अ.सा.-3) ने यह बताया है कि वह घटना के समय रेलवे स्टेशन पर एटीएम से पैसे निकाल रहा था। उसे देखा कि पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा है लेकिन क्या जप्त किया था उसे पता नहीं। वह भी थाना साथ आया था जहां पर उससे जप्ती और गिरफ्तारी प्रपत्र में हस्ताक्षर कराये गये थे। अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह सही होना बताया है कि वह आमला स्टेशन से बाहर निकल रहा था तभी पुलिस वहां पर आयी थी और उसने अभियुक्त को पकड़ा था। साक्षी ने यह भी सही होना बताया है कि अभियुक्त से एक लाल मूठ का धारदार छुरा जप्त किया था और उसे मौके पर ही सीलबंद किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसने जप्ती और गिरफ्तारी प्रपत्रों पर थाने में हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने यह भी सही होना बताया है कि सारी कार्यवाही पुलिस के द्वारा थाने में की गयी थी परंतु साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि उसके सामने पुलिस ने जप्ती नहीं की थी। इस प्रकार यह साक्षी अपने कथनों में स्थिर नहीं है और साक्षी ने अभियोजन कथा के अनुरूप न्यायालय में कथन भी नहीं किये हैं। अतः साक्षी के कथनों पर विश्वास किया जाना सुरक्षित प्रतीत नहीं होता है।

10 अभिलेख पर मात्र पुलिस साक्षी पंचमसिंह की साक्ष्य उपलब्ध है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ़ एम०पी० ए.आई.आर. 1973 एससी 2783 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार** पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी एक मात्र जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

11 पंचमसिंह उइके (अ.सा.-2) ने अपने परीक्षण में यह बताया है कि सूचना प्राप्त होने पर वह हमराह स्टाफ के साथ रेलवे स्टेशन मौके पर पहुंचा तो देखा कि अभियुक्त हाथ में छुरा लेकर लोगों को डरा धमका रहा है। घेराबंदी करके उसे पकड़ा गया। अभियुक्त से आयुध जप्त किया गया और थाने आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गयी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि प्रकरण में उसके द्वारा रोजनामचा सान्हा रवानगी एवं वापसी प्रस्तुत किया गया है। साक्षी ने यह सही होना बताया है कि रवानगी एवं वापसी के सान्हा में रोजनामचा क्रमांक एवं समय नहीं डला है इसलिए वह यह नहीं बता सकता कि कितने बजे वह रवाना हुआ था और कितने बजे थाना वापस आया। साक्षी ने आगे यह बताया है कि साक्षी अलीम और विनोद उसे रेलवे कॉलोनी के सामने मिले थे और इन दोनों को लेकर वह रेलवे स्टेशन गया था। साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने साक्षीगण को रास्ते में यह बताया था कि स्टेशन की ओर चलना है। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 04 में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि जब वह घटना स्थल पर पहुंचा तब अभियुक्त को पकड़कर सीधा थाने लेकर आ गया था। स्वतः में कहा कि जप्ती एवं गिरफ्तारी तथा हथियार मौके पर सीलबंद करने के बाद थाने लेकर आये थे।

12 अभियोजन कथा अनुसार घटना दिनांक 24.09.2015 की है तथा अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती 13:35 बजे की गयी है और उसकी गिरफ्तारी 13:45 बजे की गयी है। विवेचक साक्षी पंचमसिंह उइके के कथनों से यह प्रकट नहीं हुआ है कि उसके द्वारा कथित आयुध की मौके पर नापजोप की गयी हो। प्रकरण में रोजनामचा सान्हा में दिनांक और समय का भी उल्लेख नहीं है। साथ ही स्वतंत्र साक्षी विनोद ने पहले से ही मौके पर उपस्थित होना बताया है जबकि विवेचक साक्षी ने यह बताया है कि वह साक्षीगण को अपने साथ लेकर मौके पर गया था। जप्तशुदा आयुध के धारदार होने के संबंध में भी साक्षी ने कोई कथन नहीं किये हैं और न ही इसका कोई स्पष्टीकरण दिया है। उपर्युक्त परिस्थितियों में निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि जप्तशुदा आयुध वही है जो कि अभियुक्त से मौके पर जप्त किया गया था एवं वह अधिसूचना में वर्णित आकार प्रकार का तथा धारदार था।

13 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 24.09.2015 को समय 01:35 बजे या उसके लगभग रेल्वे स्टेशन के सामने मेन रोड आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 50 सेमी., मूठ की लंबाई 15 सेमी., फल की लंबाई 35 सेमी., फल की चौड़ाई 8 सेमी. को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त भूरा उर्फ कैलाश को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

14 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे का छुरा अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

15 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

16 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)